भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 371
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

अमृतसर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विकास

371. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पंजाब में आई अभूतपूर्व बाढ़ और भारी वर्षा के कारण विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है , सैकड़ों घर नष्ट हो गए हैं , गलियाँ और ग्रामीण आंतरिक सड़कें बह गई हैं , पेड़ और स्ट्रीट लाइटें उखड़ गए हैं , महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने न केवल आश्रय खो दिया है बल्कि आजीविका , संपर्क और आधारभूत नागरिक सुविधाओं तक अपनी पहुँच भी खो दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय को अमृतसर जिले में हाल ही में आई बाढ़ से हुई तबाही को रोकने के लिए योजना बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों , घरों और आवश्यक अवसंरचना को आधुनिक और लचीली सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण के लिए विशेष ग्रामीण पुनर्वास और आधुनिकीकरण पैकेज की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त बाढ़ प्रभावित ग्रामीण समुदायों के त्वरित पुनर्स्थापन और दीर्घकालिक जलवायु - अनुकूल विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय करने और वित्तीय आवंटन की योजना बनाई गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी जिसमें जमीनी स्तर पर राहत सहायता प्रदायगी शामिल है , संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार , पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है और आवश्यक लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर्मंत्रालयी केंद्रीय टीम के दौरे पर आधारित मूल्यांकन शामिल होता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के तहत विशिष्ट उपायों के संबंध में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत , पंजाब राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत 36,703 आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित किया गया है। अमृतसर जिले में , राज्य द्वारा विशेष परियोजनाओं के तहत 2,997 आवासों को बाढ़ प्रभावित के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा , पंजाब राज्य को एसएनए-स्पर्श के माध्यम से 134.37 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत , राज्य सरकार द्वारा संबंधित संहिताओं/विनियमों/प्रशासनिक आदेशों के तहत सूखा या प्राकृतिक आपदा अधिसूचित किए जाने की स्थिति में उन ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत 100 दिनों से अधिक 50 दिन का अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करने का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य द्वारा हाल ही में आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए , इस विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के जॉब कार्ड धारकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है।

सरकार, राज्य सरकार के साथ निकट समन्वय में, बाढ़ प्रभावित ग्रामीण समुदायों की त्वरित वापसी और दीर्घकालिक सुदृढ़ता के प्रति प्रतिबद्ध है।

*****